**National River Action Programme**

1600. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government propose to undertake 'National River Action Programme' in order to clean all main rivers of the country;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI NILAMANI ROUTRAY): (a) A concept paper for a 'National River Action Programme' has been prepared.

(b) The plan broadly outlines the various components such as scope, functions, organisational framework, modalities of implementation of the Programme.

(c) Does not arise.

**औद्योगिक परियोजनाओं की पर्यावरणीय दृष्टि से निगरानी**

1601. **श्री अजीत जोगी :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है इस समय किसी औद्योगिक परियोजनाओं के लिये पर्यावरणीय दृष्टि से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है और इन परियोजनाओं के शुरू हो जाने के बाद पर्यावरणीय दृष्टि से इन पर निरन्तर निगरानी रखने के लिये कोई कानून, नियम या व्यवस्था नहीं है ; और

(ख) यदि नहीं, तो पर्यावरणीय दृष्टि से इन परियोजनाओं पर निरन्तर निगरानी रखने के लिये इस समय कौन-कौन से प्रावधान हैं और ये कहां तक प्रभावी सिद्ध हुए हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय)** : (क) और (ख) समय-समय पर यथा संशोधित वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अनुसार सभी उद्योगों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृति के रूप में पूर्व अनुमति लेनी होती है । इसके अलावा, उद्योगों के चुने हुए समूह को राज्य/केन्द्रीय प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति लेनी होती है और उनको राज्य और केन्द्र सरकार को यह वचन देना होता है कि वे प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिये उचित उपकरण लागयेंगे और निर्धारित उपाय करेंगे । स्वीकृति की शर्तों के कार्यान्वयन की देख-रख और निगरानी संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जाती है । दोषियों के खिलाफ पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 सहित संगत अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है ।

पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करते समय मंत्रालय द्वारा यह शर्त लगाई जाती है कि परियोजना प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृति शर्तों के कार्यान्वयन के संबंध में प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत की जाय । इसके अलावा मंत्रालय ने हाल ही में मंत्रालय द्वारा निर्धारित स्वीकृति की शर्तों के कार्यान्वियन की प्रगति की निगरानी के लिये छः क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं ।

**अखिल भारतीय सेवाओं की संवर्ग समीक्षा**

1602. **श्री अजीत जोगी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सेवाओं की नियमित संवर्ग समीक्षा के लिये कोई प्रावधान है ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के लिये संवर्ग समीक्षा अंतिम बार कब की गई थी और उसका परिणाम क्या निकला ?